

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

“दूरसंचार से संबंधित टैरिफ मुद्दे” पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 17 दिसंबर, 2019 को “दूरसंचार से संबंधित टैरिफ मुद्दे” पर परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। हितधारकों से परामर्श पत्र लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 17 जनवरी, 2020 और 31 जनवरी, 2020 रखी गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 28 फरवरी, 2020 और 13 मार्च, 2020 करने का विनिश्चय किया गया है।

3. परामर्श पत्र पर टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advfea2@traai.gov.in पर भेजें। टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.traai.gov.in पर अपलोड की जाएंगी। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23234367, फ़ैक्स नंबर +91-11-23235249 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।